Publication Date 01.07.2025
Postal Registration No. G/CHD/0096/2024-26
Registrar of Newspapers of India
Regd. No. 46809/70 I Total Pages 28
Posted at MBU Chandigarh 1st of Every Month

हरियाणा सहकारी प्रकाश

Haryana Sahkari Parkash

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

वर्ष : 56 | अंक 07 | 1 जुलाई, 2025 | वार्षिक मूल्य : 500/- | प्रति कापी : 50/-

HARCOFED
Bays No. 49-52, Sector - 2, Panchkula
https://www.harcofed.org.in
harcofed@ymail.com

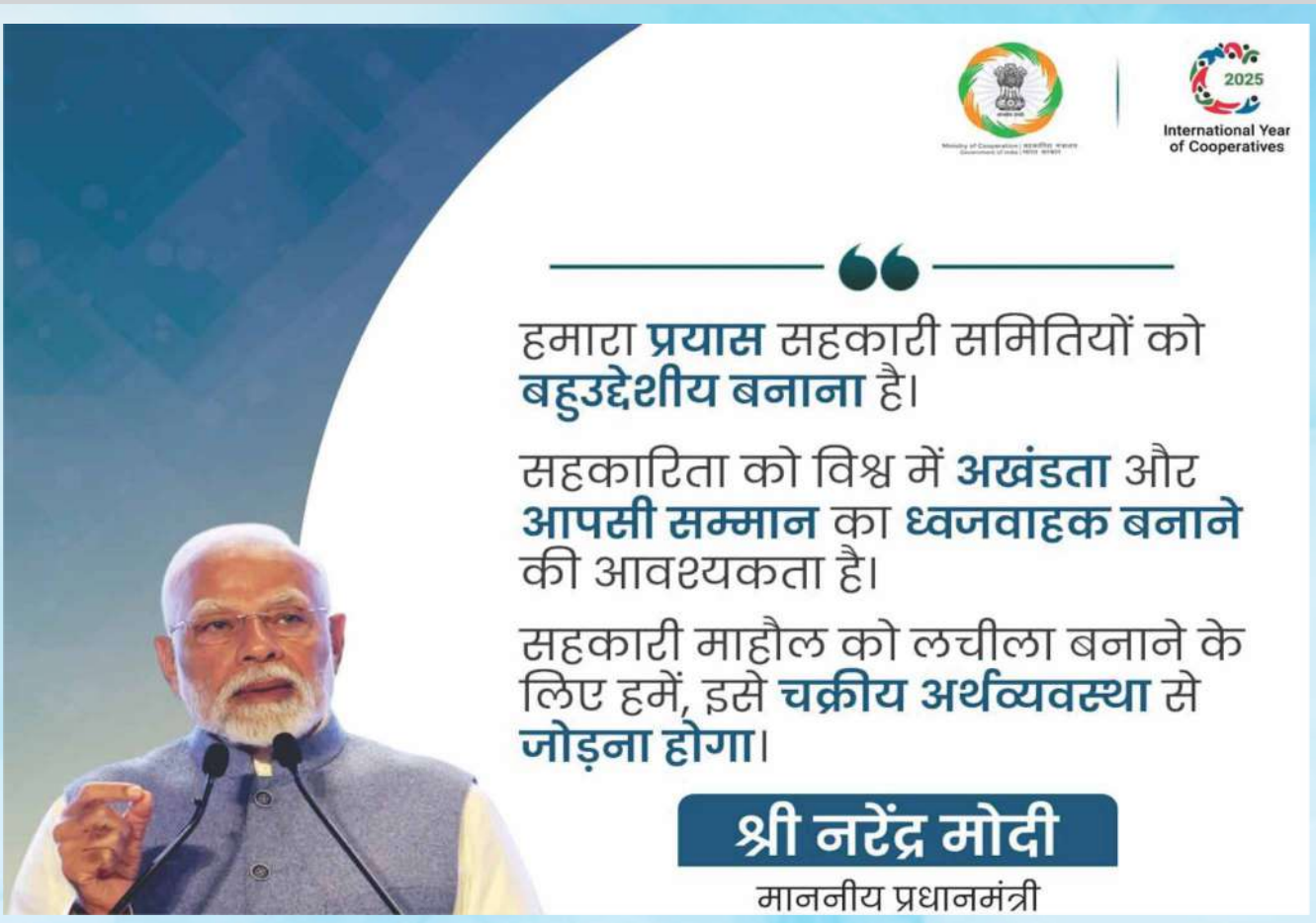
International Year of Cooperatives 2025
हमारा प्रयास सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाना है।
सहकारिता को विश्व में अखंडता और आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की आवश्यकता है।
सहकारी माहौल को लचीला बनाने के लिए हमें, इसे चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा।
श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

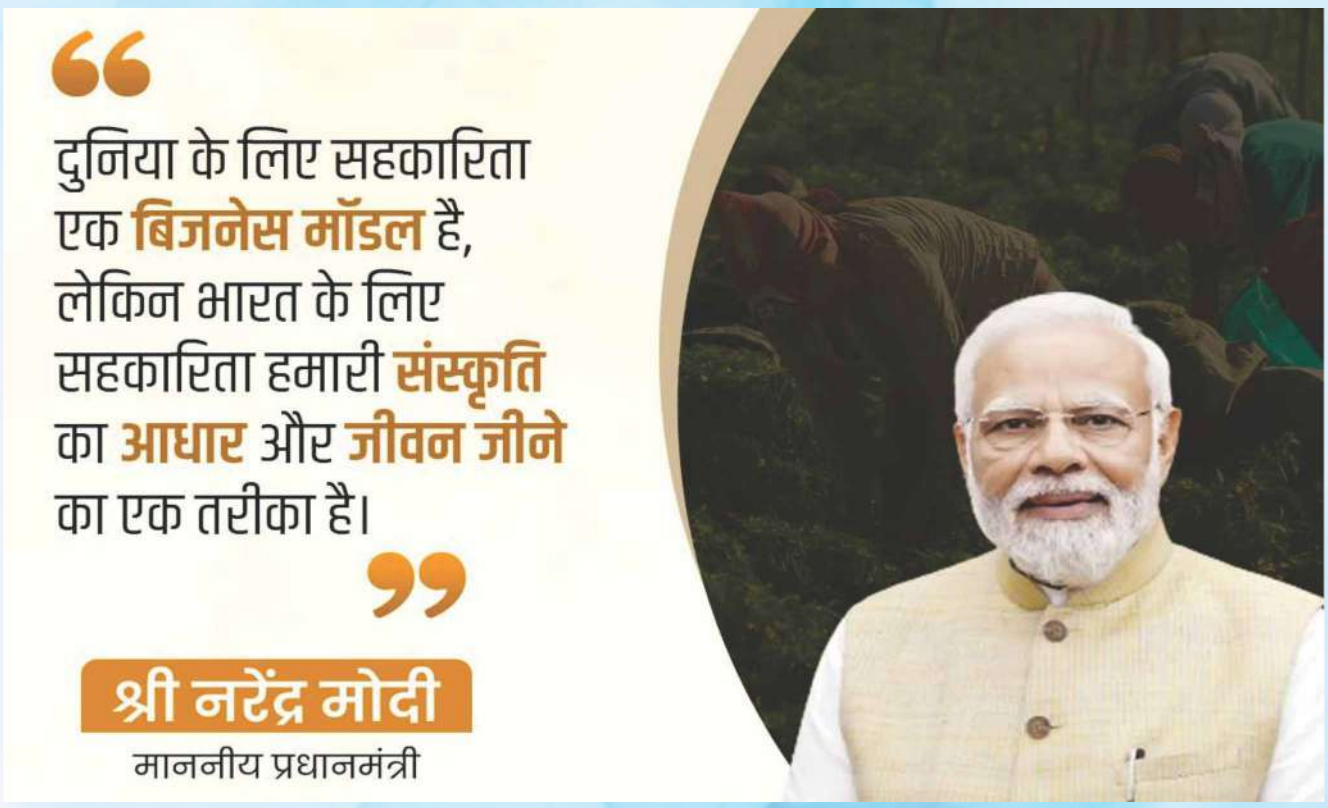
दुनिया के लिए सहकारिता एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन भारत के लिए सहकारिता हमारी संस्कृति का आधार और जीवन जीने का एक तरीका है।
श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हरियाणा सहकारी प्रकाश

मुख्य संरक्षक
विजयेंद्र कुमार, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, हरियाणा

संरक्षक
राजेश जोगपाल, भा.प्र.से.
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा

मुख्य सम्पादक
नरेश गोयल
प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड

सम्पादक
सौरव शर्मा

सुविचार

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

–महात्मा गाँधी

'हरियाणा सहकारी प्रकाश' में प्रकाशित लेखकों के विचारों के साथ हरकोफैड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेखकों के अपने विचार हैं।

हरियाणा सहकारी प्रकाश की विज्ञापन दरें :–

क्र.सं.	विवरण प्रति प्रकाशन	रुपये
1.	पूरा पृष्ठ टाईटल रंगीन	30000/-
2.	पूरा पृष्ठ रंगीन	20000/-
3.	पूरा पृष्ठ श्याम–श्वेत	12000/-
4.	आधा पृष्ठ श्याम–श्वेत	6000/-

इस अंक में पढ़िए

सम्पादकीय 4

श्री विजयेंद्र कुमार, भा.प्र.से. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता 5

सहकार से समृद्धि सफल कहानी 6–7

डेयरी फैडरेशन के चेयरमैन को पदभार करवाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री 8

टूरिज़्म विभाग, हरियाणा द्वारा तीन दिवसीय मैंगों मेला 9–10
4 जुलाई 2025 से

केन्द्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी में दिखी विकसित 11
राष्ट्र की ओर अग्रसर भारत की तस्वीरः डॉ. अरविंद शर्मा

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति 12–21

पर्यावरण संरक्षण जरूरी, प्लास्टिक मुक्त सोच अपनाएं 22
– डॉ. अरविंद शर्मा

हरको बैंक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रिक 23
रिक्शा/इलेक्ट्रिक लोडर लोन योजना का शुभारंभ

फसल को लेकर किसानों को किया जागरूक 23

समाज में मीडिया की भूमिका 24–26

विज्ञापन 27

E-MAIL
harcofed@ymail.com
harcopress@gmail.com

Website
https://www.harcofed.org.in

सम्पादकीय

हरियाली तीज

हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब सम्पूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह पर्व बहुत महत्व रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव–पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और आनन्द मनाती हैं। इस दिन महिलायें अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेंहदी रचाती हैं इसलिए हम इसे मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। मेंहदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेंहदी अवश्य लगाती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दें। मेंहदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की सहायता करता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में काम की भावना बढ़ जाती है और मेंहदी इस भावना को नियंत्रित करता है। इस दिन सुहागिन महिलायों द्वारा मेहँदी रचाने के पश्चात् अपने कुल की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद लेने की भी एक परम्परा है। इस उत्सव में कुमारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं सम्मिलित होती हैं। नव विवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परम्परा है। इसकी शीतल प्रकृति प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है।

पौराणिक महत्व : कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात् भगवान् शिव से मिली थीं। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108 वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवन शिव पति रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारम्भ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके शिव –पार्वती की पूजा करती हैं उनका सुहाग लम्बी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शवि जी ने आशीर्वाद दयिा कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत का रखती हैं।

पर्व का मुख्य केंद्र : हरियाली तीज का उत्सव भारत के अनेक भागों में मनाया जाता है , परन्तु हरियाणा, चण्डीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुरू और ब्रज आँचल में विशेषकर इसका अधिक महत्त्व है।

पर्व के विशेष पकवान : हरियाली तीज के अवसर से पहले बहुत से मिष्ठान और पकवान बनाये जाते हैं जो विवाहित पुत्री के घर सिंधारे के रूप में दिये जाते हैं। यह पकवान फिर पूरे श्रावण माह में खाये जाते हैं। तीज पर विशेष रूप से पकवान भगवान उमा–शंकर को भोग में चढ़ाये जाते हैं। भगवान शिव को प्रिय खीर और मालपुऐं बनाये जाते हैं। घेवर व्यंजन भी विशेष रूप से बनाया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले व्यंजन जैसे गुलगुले, शक्करपारे, सेवियाँ, मण्डे आदि भी पकाये जाते हैं। हरियाणा में सुहाली व्यंजन भी बनाया जाता है।

श्री विजयेंद्र कुमार, भा.प्र.से. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता बने

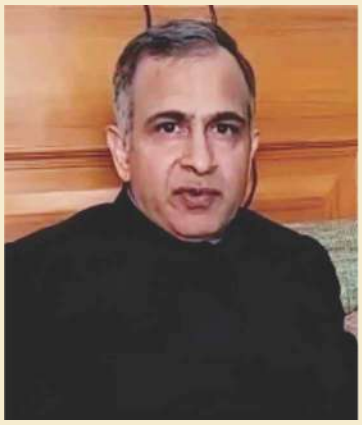

चंडीगढ़ :– हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री विजयेंद्र कुमार को सहकारिता विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है। उन्होंने 13 जून, 2025 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में आप प्रस्तावित हरियाणा आय संवर्द्धन बोर्ड के विशेष अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियुक्तियां) कार्मिक विभाग, हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्भाले हुए हैं। आपको समयनिष्ठ, परिश्रमी एवं कर्मठ अधिकारी के रूप में जाना जाता है।

आपने हरियाणा प्रदेश के प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जिसमें महानिदेशक इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, चकबंदी और भूमि अभिलेख, उच्च शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि विभाग शामिल हैं। आपने सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं हारट्रोन में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी उतकृष्ट कार्यशैली की गहरी छाप छोड़ी है।

आप जैसे अनुभवी एवं प्रतिभावान अधिकारी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता के रूप में आने से हरियाणा प्रदेश का सहकार आशातीत है कि सहकारी आन्दोलन आपके नेतृत्व में जनहितैशी गतिविधियों तथा सरकार की योजनाओं को आशानुरूप देने में पूरी तरह से सफल होगा तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से नये आयाम स्थापित करेगा।

"सहकार से समृद्धि" – खुश हाल पैक्स एवं खुश हाल किसान (दी बहल बहु उद्देशीय पैक्स की सफल कहानी)

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "सहकार से समृद्धि" पहल सहकारिता के क्षेत्र की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहल है। इसके तहत सहकारी क्षेत्र के लिए कई पहल की गई हैं। इस पहल का एक मुख्य जोर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय पैक्स में बदलना है, ताकि वे जमीनी स्तर ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की सेवाएं प्रदान कर सकें। "सहकार से समृद्धि" पहल के तहत पैक्स द्वारा किसानो को खाद–बीज उपलब्ध करवाना, किसानो की फसल के खरीद की सुविधा उपलब्ध करवाना, अन्न भण्डारण करना, ग्रामीण क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खोलना, CSC सेंटर चलाना आदि शामिल हैं। पैक्स को बहु उद्देशीय पैक्स में बदलने के लिए नए मॉडल उपनियम तैयार किए गए। इन सबके क्रियान्वन के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति का भी गठन किया गया।

पैक्स से बहुउद्देशीय पैक्स में परिवर्तन

दी बहल बहु उद्देशीय पैक्स लि. बहल ने अपनी प्रबंधन समिति (सज्जन सिंह, अध्यक्ष) के कुशल मार्गदर्शन और अपने प्रबंधक श्री संजय शर्मा के कुशल प्रशासन के तहत दी बहल पैक्स को बहु उद्देशीय पैक्स में बदलने की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने बहल अनाज मंडी (कृषि उपज विपणन समिति) में खरीद संचालन करने का निर्णय लिया। जब प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस गतिविधि को शुरू करने के कई कारण थे:

1. खरीद संचालन का कार्य किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और इसलिए किसानों के साथ उनका जुड़ाव बढ़ेगा।
2. इसके कई फॉरवर्ड लिंकेज हैं और एक बार यह गतिविधि शुरू हो जाने के बाद गोदाम व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण आदि की संभावना बढ़ जाएगी।
3. यह दीर्घावधि में उनकी ऋण वसूली दर में मदद करेगा क्योंकि अधिक से अधिक किसान उनके साथ जुड़ेंगे।
4. हालांकि यह बहुत व्यस्त व्यवसायिक गतिविधि थी, लेकिन यह अत्यधिक लाभकारी थी। सोसायटी के अध्यक्ष और प्रबंधक ने कहा कि उन्होंने बेहल एपीएमसी में सरसों की खरीद के लिए राज्य एजेंसी के रूप में नामित होने का लक्ष्य रखा है और वे इस संबंध में सभी प्रयास करेंगे।

व्यवसाय की सफलता

समिति के प्रबंधक द्वारा दी गई जानकारी और समिति रिकॉर्ड के अनुसार सोसायटी ने रबी 2024–25 सीजन में सरसों की खरीद का काम शुरू किया था। सीजन के दौरान उन्होंने लगभग 6000 क्विंटल सरसों की खरीद की। उनके प्रभावी बाजार हस्तक्षेप से लगभग 200

किसानों को सटीक वजन माप और समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिली। यह उनकी प्रभावशीलता ही थी कि रबी 2025–26 सीजन के दौरान उनकी खरीद लगभग 30,000 क्विंटल तक बढ़ गई और लगभग 1000 किसानों को मदद मिली। यह किसानों द्वारा सीधा प्रचार था जिसने एमपीएसीएस को एक वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को लगभग 5 गुना बढ़ाने में मदद की। इसने एमपीएसीएस को अपना कारोबार 2023–24 में लगभग 2.00 करोड़ से बढ़ाकर 2024–25 में लगभग 5.00 करोड़ और 2025–26 में लगभग 20 करोड़ करने में भी मदद की। उसके द्वारा किये गए खरीद कार्य से समिति रबी 2024–25 खरीद सीजन में लगभग 3.5 लाख और रबी 2025–26 खरीद सीजन में लगभग 12 लाख का सकल लाभ अर्जित करने में सक्षम रही। समिति को इस शुरुआती सफलता पर आगे बढ़ने और "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य को प्राप्त करने की उम्मीद है।

प्रयासों को स्वीकार्यता

दी बहल बहु उद्देशीय पैक्स लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयासों और उनकी सफलता को सभी हितधारकों द्वारा विशेष रूप से ''सहकार से समृद्धि'' पहल को लागू करने के लिए गठित जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया। यह सफलता डीसीडीसी सदस्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय सहयोग का परिणाम भी थी, जिन्होंने इस पहल की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। एमपीएसीएस द्वारा इस खरीद संचालन व्यवसाय के मूल ढांचे पर 30.01.2024 को आयोजित डीसीडीसी भिवानी की दूसरी बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में श्री अरविंद कुमार हुड्डा, एआरसीएस लोहारू द्वारा परीक्षण के आधार पर खरीद व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया और उपायुक्त महोदय व अन्य सभी हितधारकों ने इस विचार का समर्थन करने में प्रसन्नता व्यक्त की। हैफेड द्वारा पैक्स कर्मचारियों को खरीद सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य में नुक्सान न हो उससे भी सम्बन्धित बारीकियों के बारे में बताया गया। साथ ही बहल मार्किट कमिटी के सचिव ने भी शुरुआत में ही खरीद से सम्बन्धित सभी जानकारियां जैसे की किसानों से ली गई सरसों की साफ सफाई, तुलाई इत्यादि की जानकारी पैक्स कर्मचारियों को दी द्य दि भिवानी जिला सहकारी बैंक द्वारा भी इस कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। 06.05.2025 को आयोजित डीसीडीसी भिवानी की 5वीं बैठक में दी बहल बहु उद्देशीय पैक्स लि के प्रयासों को स्वीकार किया कारी आदू सीएम–पैक्स द्वारा भी खरीद व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखाई गई और डीसीडीसी महेंद्रगढ़ की तीसरी बैठक में महेंद्रगढ़ जिले में भी इसी मॉडल को दोहराने का निर्णय लिया गया।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

खरीद कार्यों में समिति को मिली सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। किसानों से जुड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए, नए उपकरण खरीदने के लिए संसाधन जुटाए गए और सभी हितधारकों ने सहयोग दिया। हालांकि, संचालन में शामिल लोगों ने बताया कि समिति को स्टॉक उठाने और उतारने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही, मार्केट कमेटी में स्टॉक को ढकने के लिए पर्याप्त शेड क्षेत्र की कमी सोसायटी के लिए वित्तीय जोखिम पैदा करती है। अगर इन क्षेत्रों में सकारात्मक सरकारी हस्तक्षेप किया जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। समिति प्रबंधक द्वारा बताया गया की समिति द्वारा इस कार्य और अधिक बढ़ने के पर्यास जारी हैं और भविष्य में समिति किसानों से खरीदे गए अनाज के भण्डारण के लिए भी कार्य करने की दिशा में अग्रसर है।

डेयरी फैडरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन श्री राम अवतार गर्ग को पदभार करवाने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

हरियाणा सरकार द्वारा गुरूग्राम के रहने वाले श्री राम अवतार गर्ग को हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने नवनियुक्त चेयरमैन श्री राम अवतार गर्ग को सहकारिता विभाग के मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करवाया। राम अवतार गर्ग पिछले काफी समय से सिद्धेश्वर स्कूल एवं सिद्धेश्वर मंदिर सभा गुरूग्राम के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवांए दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक के तौर पर गर्ग को समय–समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई जिन्हें उन्होने बखूबी निभाया। इनकी उत्कृष्ट शैली एवं देश के प्रति सेवा भावना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इन्हें वीटा के चेयरमैन की बागडोर संभालने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द कुमार शर्मा ने श्री राम अवतार गर्ग एवं मौजूदा उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनांए दी और कहा कि उन्हे पूरी आशा है कि जो विश्वास सरकार ने उन पर दिखाया है उसे वह पूरी निष्ठा के साथ निभांएगे।

सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बार हुआ है 58 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित : सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बार 58 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया गया है। इससे सहकारिता क्षेत्र के सभी निगम फैडरेशनों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चिलिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले दो महीने में भिवानी के सलेमपुर व सिरसा के डबवाली में चिलिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे जबकि नूंह का चिलिंग सैंटर भी जल्द तैयार हो रहा है। पंचकूला, चरखी दादरी, करनाल व पानीपत में चिलिंग सैंटर स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सिरसा में किन्नू प्लांट लगाने के लिए तलाशी जा रही है जमीन : कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सिरसा में पी.पी.पी. मोड पर किन्नू जूस प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित करने को लेकर स्टेक होल्डर्स, बागवानी विभाग, कृशि विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। प्लांट की व्यवहारिकता के साथ–साथ उसे स्थापित करने के लिए जमीन तलीशी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हर खण्ड में ब्लाक मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंग। इसके लिए प्रदेश में 45 खंडों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार 350 नए वीटाबूथों को स्थापित करने की घोशणा भी काम किया जा रहा है। अभी 20 वीटा बूथ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। जिसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

टूरिज़्म विभाग, हरियाणा द्वारा तीन दिवसीय मैंगों मेला 4 जुलाई 2025 से, पिंजौर के यादवेन्द्रा गार्डन में सजेगा मैंगो मेला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन

देश भर के आम उत्पादक सैंकडों किस्म के आमों की लगाएंगे प्रदर्शनी

कलाकारों की प्रस्तुति व विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं से मैंगो मेला होगा गुलजार

–डॉ अरविंद कुमार शर्मा

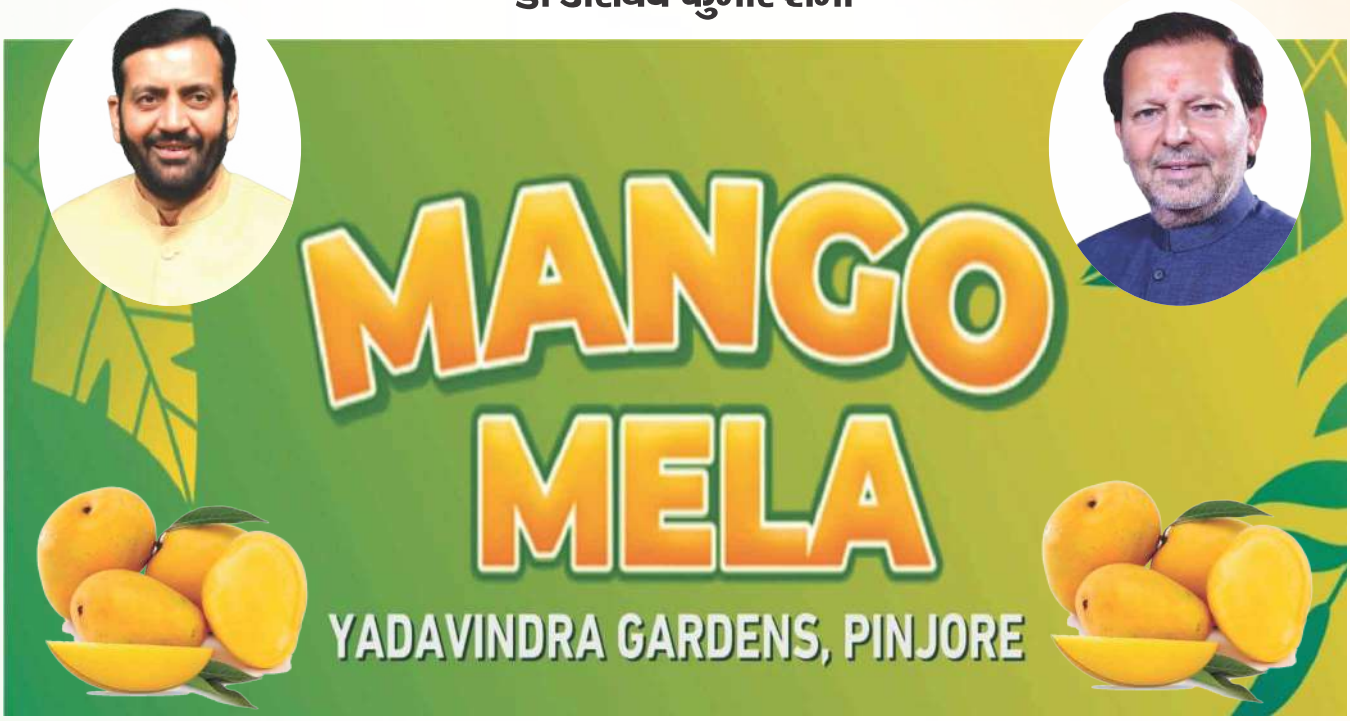

सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादवेन्द्र गार्डन में पर्यटन विभाग व बागवानी विभाग द्वारा 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के आम उत्पादकों की सैंकडों व विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कैंप कार्यालय में हरियाणा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ शालीन व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया व उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विकास निगम व बागवानी विभाग वर्ष 1992 से यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर में मैंगो मेले का आयोजन कर रहा है। मैंगो मेले के 32वें संस्करण का आयोजन इस बार 4 जुलाई से किया जाएगा, जो 6 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि देशभर से आम उत्पादक किसान सैकड़ों किस्म के आम लेकर आएंगे

और उनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरूआत देशभर में उगाए जाने वाले आमों की विविधतापूर्ण और समृद्ध किस्मों का जश्न मनाने और किसानों को अपनी उपज दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि बीते सालों में आम मेला एक क्षेत्रीय उत्सव से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आयोजन में बदल चुका है। मेला न केवल आम की पारंपरिक किस्मों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ आमजन को आम की नई प्रजातियों से भी परिचित कराने का बडा माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि आम मेला सिर्फ आमों का उत्सव नहीं है बल्कि यह सभी के लिए गतिविधियों और आकर्षणों से भरा उत्सव है। पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मैंगों मेले की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढे, इसके लिए इसका मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर प्रचार–प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंगो मेले में ढांचागत विकास से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समय से तैयारी की जाए, ताकि मेले में आने वाले आम प्रशंसकों व पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। उन्होंने किसानों के लिए आम प्रतियोगिताओं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं, पुरस्कार वितरण की सुनियोजित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पडे। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि आमजन फूड कोर्ट में देशभर से आए आम उत्पादकों की अलग–अलग किस्मों के आम के स्वाद का आनंद ले सकें, इसके लिए फूडकोर्ट में बेहतर व्यवस्था व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

केन्द्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शनी में दिखी विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर भारत की तस्वीरः डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने किया तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन

केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के लिए बीते 11 वर्षों में लागू कीं अनेक योजनाएं

चंडीगढ़, 12 जून :– केंद्र सरकार के 11 सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आज सोनीपत में तीन दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने फीता काटकर किया।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शनी विकसित भारत की दिशा में निरंतर अग्रसर होते देश की झलक प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसे साकार करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। यह प्रदर्शनी सरकार की नीतियों और जनहित में किए गए कार्यों को जन–जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र पर चलते हुए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, जिनका लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र नागरिक तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं ने आम जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं।

उन्होने कहा कि इन योजनाओं से नागरिकों को न केवल सुविधा मिली है, बल्कि वे आत्मनिर्भर और सशक्त भी बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभरा है।

प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों को चित्रों, ग्राफिक्स और सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से दर्शाया गया है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी आगामी तीन दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत होकर उनका लाभ ले सकें।

इस अवसर पर सोनीपत विधायक निखिल मदान, उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार, एसीयूटी योगेश दिल्हौर, भाजपा जिला प्रभारी सतीश नांदल, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज, एसडीएम सुभाष चंद्र, डीडीपीओ जितेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति

सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, सहकार–से–समृद्धि के विजन को साकार करने और देश में प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची इस प्रकार है

- **प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनानाः** पैक्स के लिए आदर्श उप–नियम उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाएंगेरू सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उप–नियम तैयार किए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने, अपने कार्यों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आदर्श उप–नियमों को अपनाया है या उनके

मौजूदा उप–नियम मॉडल उप–नियमों के अनुरूप हैं।

- **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनानाः** पैक्स को मजबूत बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें देश में सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें एस.टी.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी दी गई है। कुल 50,455 पैक्स को ई.आर.पी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा गया है।

- **सभी पंचायतों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापनाः** भारत सरकार ने अगले पाँच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गाँवों को कवर करने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का समर्थन प्राप्त है। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा दर्शाते हुए 19.9.2024 को 'मार्गदर्शिका' शुरू की गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से 27.1.2025 तक देश भर में कुल 12,957 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं।

- **सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना :** सरकार ने एआईएफ, एएमआई, एसएमएएम, पीएमएफएमई आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पीएसीएस स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि–बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और पीएसीएस स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों की 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

- **ई–सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए क मन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में पीएसीएसः** सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पीएसीएस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/एयर टिकट आदि जैसी 300 से अधिक ई–सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक 42,080 पीएसीएस ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

- **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन :** सरकार ने एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1100 अतिरिक्त एफपीओ के गठन की अनुमति दी है, उन ब्लॉकों में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं किया गया है या वे

ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी के दायरे में नहीं आते हैं। 1100 ब्लॉकों के इस आवंटन के मुकाबले 27.01.2025 तक 958 एफपीओ पंजीकृत/ऑन–बोर्ड किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा पहले ही 730 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। आज की तिथि तक, सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा कुल 1,688 एफपीओ पंजीकृत/ऑन–बोर्ड किए जा चुके हैं। यह किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी प्रक्रिया प्राप्त करने में सहायक होगा।

- **खुदरा पेट्रोलध्डीजल दुकानों के लिए PACS को प्राथमिकता दी गई :** सरकार ने खुदरा पेट्रोलध्डीजल दुकानों के आवंटन के लिए PACS को संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) में शामिल करने की अनुमति दी है। तेल विपणन कंपनियों (OMC) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 286 PACS ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

- **थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई :** मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों में बदलने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 5 राज्यों के 116 थोक उपभोक्ता पंप लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में बदलने के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 56 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू कर दिया गया है।

- **अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी वितरक के लिए पात्र पैक्स :** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अपनी आय के स्रोत में विविधता लाने का विकल्प मिलेगा। अब तक झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने सीसी श्रेणी के तहत एलपीजी वितरक के लिए आवेदन किया है।

ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में PACS : PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) संचालित करने की अनुमति दी गई है, जो उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करेगा और ग्रामीण नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। अब तक, 4,523 PACS/सहकारी समितियों ने PMBJK के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,744 PACS को फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन दिया गया है और 785 PACS को राज्य औषधि नियंत्रकों से दवा लाइसेंस प्राप्त हुआ है और 716 PACS को PMBI से स्टोर कोड मिले हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने में सक्षम बनाया गया है। उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कुल 36,193 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य पीएसीएस द्वारा किया जाएगा :** पीएसीएस को ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्लूएस के संचालन एवं रख–रखाव (ओएंडएम) के लिए पात्र बनाया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पंचायतध्ग्राम स्तर पर संचालन एवं रख–रखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 934 पीएसीएस की पहचानध्चयन किया गया है।

- **पैक्स स्तर पर पीएम–कुसुम का अभिसरण :** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

- **बैंक मित्र सहकारी समितियों को घर–घर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए माइक्रो–एटीएम :** डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को डीसीसीबी और एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। उनके व्यापार में आसानी, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'घर–घर वित्तीय सेवाएँ' प्रदान करने के लिए माइक्रो–एटीएम भी दिए जा रहे हैं। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, 19 सितंबर 2024 को एक एसओपी शुरू किया गया है। अब तक, गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 8,322 माइक्रो–एटीएम वितरित किए गए हैं।

- **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** डीसीसीबी/एसटीसीबी की पहुंच बढ़ाने और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें अन्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 19 सितंबर 2024 को एक एसओपी शुरू की गई है। अब तक गुजरात राज्य में 7,43,810 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

- **मत्स्यपालक उत्पादक संगठन (FFPO) का गठन :** मछुआरों को बाजार संपर्क और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, NCDC ने शुरुआती चरण में 70 FFPO पंजीकृत किए हैं। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 1000 मौजूदा मत्स्यपालन सहकारी समितियों को FFPO में बदलने का काम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवंटित किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 280.65 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ FFPO के रूप में मजबूत करने के लिए 997 प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियों की पहचान की है।

- **श्वेत क्रांति 2.0 :** सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" की शुरुआत करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सहकारी कवरेज, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का विस्तार करना है, जिसका उद्देश्य "कवर किए गए क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है।"

श्वेत क्रांति 2.0 के लिए एसओपी 19.11.2024 को माननीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। 25.12.2024 को माननीय गृह और सहकारिता मंत्री ने माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में 6,600 नव स्थापित डेयरी सहकारी समितियों का उद्घाटन किया।

- **आत्मनिर्भर अभियान :** सहकारिता मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दालों (अरहर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मक्का के उत्पादन की पहल शुरू की है। दोनों ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः ई–संयुक्ति और ई–समृद्धि यानी अपने स्वयं के वेब पोर्टल विकसित किए हैं। दोनों ने अरहर, उड़द, मसूर और मक्का के पूर्व पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज का 100% खरीदने का आश्वासन दिया है। हालांकि, यदि बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक है, तो किसान अपनी उपज खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार, नैफेड के ई–समृद्धि पोर्टल पर 6,75,178 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है।

शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई है: यूसीबी अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या के 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोल सकते हैं।

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ देने की अनुमति दे दी है : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा दी जा सकेगी। इन बैंकों के खाताधारक अब घर बैठे ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि नकद निकासी, नकद जमा, KYC डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आदि।

सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है: सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी बट्टे खाते में डालने के साथ–साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

यूसीबी को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई : आरबीआई ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयसीमा दो साल यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संपर्क के लिए आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है : सहकारी क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए, आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित किया है।

आरबीआई ने ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक कर दी :

शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी ।

इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आवास सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया : सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को भी प्री–प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अपने घर पर बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी।

सहकारी बैंकों को अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यम भी अब सहकारी बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अनुसूची मानदंडों की अधिसूचना: शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्लूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं और पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा बनाए रखते हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II में शामिल होने और 'अनुसूचित' दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

आरबीआई ने स्वर्ण ऋण के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी कर दी: आरबीआई ने उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यापक संगठन : आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफसीयूबी) को यूसीबी क्षेत्र के लिए एक व्यापक संगठन (यूओ) के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत

1 से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गयारू इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

सहकारी समितियों के लिए एमएटी को 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता आ गई है।

आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने

एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि एक सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को अलग से माना जाएगा, और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए पहले की 30% प्लस अधिभार की दर की तुलना में 15% की एक समान कम कर दर वसूली जाएगी। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

पैक्स और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि: सरकार ने पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुविधा होगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा और उनकी समितियों के सदस्यों को लाभ होगा।

नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि: सरकार ने स्रोत पर कर कटौती के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत : सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से किसानों को उचित एवं लाभकारी या राज्य परामर्शित मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य का भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा।

चीनी सहकारी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान : सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023–24 में एक प्रावधान किया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी।

चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गई : सरकार ने इथेनॉल संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की है। अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के तहत एनसीडीसी को 875 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23 में 500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024–25 में 375 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और अब तक, एनसीडीसी ने 44 सीएसएम को 9,169.76 करोड़ रुपये की राशि के 80 ऋण स्वीकृत किए हैं।

इथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के बराबर रखा गया है।

सहकारी चीनी मिलों के शीरा–आधारित इथेनॉल संयंत्रों को बहु–फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके उन्हें मजबूत बनानारू सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ

लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के साथ परामर्श करके सीएसएम के मौजूदा शीरा–आधारित इथेनॉल संयंत्रों को बहु–फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने की पहल की है। सहकारी चीनी मिलें (सीएसएम) इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करके शीरा और चीनी सिरप से इथेनॉल का उत्पादन भी करती हैं। हालांकि, इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल यानी शीरा और चीनी सिरप की उपलब्धता कई कारकों से सीमित है, जैसे गन्ना सिरप के डायवर्जन पर सरकारी नीति, इथेनॉल के उत्पादन के लिए बी हैवी शीरा और गन्ना पेराई सीजन की अवधि और वर्षा के आधार पर गन्ने की उपलब्धता आदि। भारत सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का को प्राथमिकता दी है, इसलिए सीएसएम के लिए यह समझदारी है कि वे अपनी मौजूदा इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मल्टी फीड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों में परिवर्तित करें ताकि वे कच्चे माल के रूप में मक्का का उपयोग करके इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम हों।

सरकार ने गुड़ पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन वाली डिस्टिलरियों को गुड़ बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।

तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु–राज्य सोसायटी

प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु–राज्य सहकारी बीज सोसायटी: सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु–राज्य सहकारी बीज सोसायटी की स्थापना की है, जिसका नाम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) है, जो एक ही ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक छत्र संगठन है। रबी 2024–25 सीजन के दौरान 5,596 हेक्टेयर में 12 फसलों की 57 किस्मों की बुवाई/रोपण किया गया। इसी तरह, खरीफ 2024 सीजन के दौरान 176.59 हेक्टेयर भूमि पर 8 फसलों की 23 किस्मों की रोपाई की गई है। अब तक 17,425 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं।

जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु–राज्य सहकारी जैविक सोसायटी : सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु–राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन करने के लिए एक छत्र संगठन है। अब तक 5,184 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं। एनसीओएल ने 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत 13 उत्पाद लॉन्च किए हैं, जैसे कि साबुत गेहूं का आटा, मूंग धुली, साबुत मूंग, मूंग छिलका दाल, मूग स्प्लिट, अरहर/तूर दाल, साबुत उड़द, साबुत उड़द दाल, मसूर मलका, ब्राउन चना, राजमा चित्रा, चना दाल।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु–राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी : सरकार ने सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) नामक एक नई शीर्ष बहु–राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना की है। अब तक, 7,933 पीएसीएसध्सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं। आज तक, एनसीईएल ने 5,099.24 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ 12,52,083 मीट्रिक टन वस्तुओं (चावल, चीनी, प्याज, गेहूं, मक्का और जीरा) की कुल निर्यात मात्रा हासिल की है।

सहकारिता में क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना: अपनी पहुंच बढ़ाकर, एनसीसीटी ने 2,872 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और दिसंबर 2024 तक 2,35,060 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

'व्यापार करने में आसानी' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण रू बहु–राज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना: सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' बढ़ाने और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण : दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023–24 और वित्त वर्ष 2024–25 में 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 5.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अन्य पहल

प्रामाणिक और अद्यतन डेटा संग्रह के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक, 1,000 से अधिक सहकारी समितियों का डेटा एकत्र किया गया है।

इस डेटाबेस में 30 क्षेत्रों की 8.2 लाख सहकारी समितियों को शामिल किया गया है, जिनके लगभग 30 करोड़ सदस्य हैं।

सहकारी रैंकिंग ढांचा: सरकार ने सहकारी समितियों को राज्यवार और क्षेत्रवार रैंक देने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग ढांचा शुरू किया । रैंकिंग ढांचा राज्य आरसीएस को लेखा परीक्षा अनुपालन, परिचालन गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और बुनियादी पहचान जानकारी सहित प्रमुख मापदंडों के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आरसीएस, एनसीडी पोर्टल पर लॉगिन के

माध्यम से, सहकारी समितियों की रैंक तैयार कर सकते हैं, शुरुआत में 7 प्रमुख क्षेत्रों जैसे पीएसीएस, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, ऋण और बचत, और खादी और ग्राम उद्योग। इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिले।

भारत में सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष–2025 : संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और स्थिरता में सहकारिता की भूमिका को उजागर करने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC 2025) घोषित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी संघों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक कार्य योजना विकसित की है, जिसमें PACS के माध्यम से पारदर्शिता, नीति सुधार और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन पर जोर दिया गया है। गतिविधियों में प्रशिक्षण, बोर्ड मीटिंग, सहकारी ध्वज फहराना, प्रदर्शनियाँ और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय विस्तार कार्यशालाएँ शामिल हैं। प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियाँ बनाई गई हैं। राष्ट्रीय निष्पादन समिति (NEC) और राष्ट्रीय सहकारी समिति (NCC) समन्वय और वित्तीय जुटाव की देखरेख करेंगी। राज्य शीर्ष समितियाँ (SAC), राज्य और जिला सहकारी विकास समितियों (SCDC और DCDC) के साथ मिलकर राज्य/जिला/ग्राम स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करेंगी।

बहु–राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 : शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और बहु–राज्य सहकारी समितियों में 97 वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन लाया गया है।

सहकारी लोकपाल: बहु–राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 85ए के तहत सहकारी लोकपाल की नियुक्ति राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.03.2024 के तहत की गई है। लोकपाल कार्यालय पूरी तरह से काम कर रहा है और एमएससीएस के सदस्यों की ओर से उनकी जमाराशियों, बहु–राज्य सहकारी समिति के कामकाज के न्यायसंगत लाभों या संबंधित सदस्य के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के बारे में शिकायतों या अपीलों से निपटता है।

सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए): बहु–राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सभी एमएससीएस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। दिसंबर, 2024 तक 80 से अधिक एमएससीएस में चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी है, जिससे वे 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे, जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अब तक 574 सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में GeM पर शामिल किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण जरूरी, प्लास्टिक मुक्त सोच अपनाएं – डॉ. अरविंद शर्मा

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री ने किया पौधारोपण

चंडीगढ़, 05 जून :– हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज गोहाना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पेड़–पौधों और वनों के महत्व को समझें।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। प्लास्टिक कचरा महासागरों को प्रदूषित कर रहा है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि रीसाइक्लिंग को अपनाकर, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करके तथा अपनी उपभोग की आदतों में बदलाव लाकर हम एक स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे छोटे–छोटे प्रयास जैसे कचरे का सही ढंग से वर्गीकरण करना तथा वस्तुओं का पुनः उपयोग एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर बार जब हम प्लास्टिक से परहेज करते हैं, तो धरती को सांस लेने का अवसर मिलता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम मिलकर प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग बंद करें। इसके स्थान पर कागज या कपड़े के थैलों का उपयोग करें। हम सभी को वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी स्वयं करनी चाहिए।

हरको बैंक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रिक रिक्शा/इलेक्ट्रिक लोडर लोन योजना का शुभारंभ

दिनांक : 5 जून 2025 हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड (HARCO Bank), चंडीगढ़ के प्रबंध निदेशक डॉ० प्रफुल्ल रंजन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, दिनांक 5 जून 2025 को "इलेक्ट्रिक रिक्शा / इलेक्ट्रिक लोडर लोन योजना" का शुभारंभ किया। यह योजना (IYC 2025) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत बैंक ई–रिक्शा या ई–लोडर खरीदने हेतु ग्राहकों को 85% तक लोन प्रदान करेगा। लोन पर ब्याज दर मात्र 10.75% से शुरू होगी, जो बेहद किफायती है। ग्राहकों के लिए 36 आसान मासिक किस्तों (EMI) तक पुनर्भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

हरको बैंक की यह योजना न्यूनतम दस्तावेजों के साथ उपलब्ध है, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और शीघ्र है। बैंक का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ० प्रफुल्ल रंजन ने कहा, "हमारा प्रयास है कि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दें।"

फसल को लेकर किसानों को किया जागरूक

दी प्राइमरी कृषि सरकारी समिति लिमिटेड काछवा में हरियाणा राज्य सहकारी विकास लिमिटेड पंचकूला की ओर से किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में करीब 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। सरकारी बैंक के प्रबंधक ने लोन की स्कीमों के बारे में किसानों का अवगत कराया। फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्राकृतिक खेती के बारे में प्रगतिशील किसान बजाज ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हरकोफैड से श्रीमती ज्योति देवी ने सी.एम. पैक्स व मल्टीपरपज सोसायटी के बारे में सभी किसानों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं और किसानों का धन्यवाद किया।

समाज में मीडिया की भूमिका

मीनाक्षी, बसकौर और यशमुंडे, समाजशास्त्र विभाग
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

आज के डिजिटल युग में मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है और सूचना का एक प्रमुख स्त्रोत है। मीडिया का कार्य केवल सूचना देना नही बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों, घटनाओं और बदलावों को उजागार करना भी है। इसके माध्यम से हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सक्षम होते हैं। मीडिया समाज के लिए एक शक्तिशाली साधन है, जो लोगों के विचारों, मुद्दों और घटनाओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है।

मीडिया के प्रकार :– मीडिया के कई रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिलिटल मीडिया शामिल हैं। इन सभी माध्यमों के माध्यम से समाज में सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रसार होता है।

प्रिंट मीडिया :– प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र शालिल हैं। यह समाज को दैनिक घटनाओं, राजनीति, खेल, विज्ञान और समाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में सूचित करता है। प्रिंट मीडिया का इतिहास बहुत पुराना है और यह आज भी एक प्रमुख सूचना स्त्रोत के रूप में कार्य करता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया :– रेडियो और टेलीविजन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, जो लोगों से न केवल समाचार प्रसारित होते हैं, बल्कि मनोरंजन और शैक्षिक कार्य क्रम भी चलते हैं, जो समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं।

डिजिटल मीडिया :– इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूटयूब ने मीडिया का प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और अन्य विचारों से परिचित होते हैं। डिजिटल मीडिया ने विचारों और मुद्दों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का नया आयाम दिया है।

समाज में मीडिया की भूमिका

सूचना का प्रसार :– मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचना का प्रसार है। इसके माध्यम से हम समाज, राजनीति, खेल, विज्ञान कला, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं,

चुनावों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में त्वरित रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया ने सूचना को पहुंचानो की प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बना दिया है।

सामाजिक जागरूकता और शिक्षा :– मीडिया समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का एक प्रमुख साधन है। टी.वी. चैनल्स, रेडियो स्टेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला अधिकार और बाल अधिकार पर जानकारी प्रदान करते हैं। इन माध्यमों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

लोकतंत्र में भूमिका :– लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। यह सरकार और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। मीडिया सरकार की नीतियों पर नजर रखता है और जनता को सही जानकारी प्रदान करता है। चुनाव के समय में मीडिया मतदाताओं को उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में जागरूक करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है।

सामाजिक परिवर्तन :– मीडिया समाज में सुधार और बदलाव की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। यह समाज में व्याप्त समस्याओं और असमानताओं को उजागर करता हे। जिससे उन्हें सुलझाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मीडिया ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए हैं और बालश्रम, दहेज प्रथा, और जातिवाद जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलायी है।

सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक एकता :– मीडिया विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच समरसता को बढ़वा देता है। यह लोगों को एक मंच पर लाकर उन की परंपराओं, संस्कृतियों और जीवनशैली से परिचित कराता है। सोशल मीडिया पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों के बारे में जानकारी सांझा की जाती है, जिससे समाज में एकता और भाई–चारे का माहौल बनता है।

मनोरंजन और कला :– मनोरंजन भी मीडिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। टेलिविजन, फिल्में संगीत और रेडियो कार्यक्रम समाज को मानसिक विश्राम प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से लोग न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को समझते भी हैं। मीडिया सकारात्मक विचारों और अच्छे संदेशों का प्रसार करता है, जो समाज के समग्र विकास में सहायक होते हैं।

विपणन और व्यापार :– मीडिया का व्यापार और विपणन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। यह उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करता है और व्यापारिक संस्थाओं को लाभ पहुँचाने में मदद करता है। मीडिया द्वारा चलाए गए प्रचार अभियान आर्थिक विकास और उद्योगों के विस्तार में सहायक होते हैं।

मीडिया के नकारात्मक पहलू

फर्जी खबरें :– मीडिया का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू फर्जी खबरों का प्रसार है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर गलत ओर भ्रमित करने वाली खबरें बहुत तेजह से फैलती हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था और तनाव पैदा होता है। इससे गलत धारणाएँ और भ्रम पैदा हो सकते हैं, जो समाज के लिए नुकसान देह हो सकते हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव :– मीडिया के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का प्रचार भारतीय समाज की पारंपरिक संस्कृति पर असर डाल सकता है। टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सामग्री कभी–कभी भारतीय मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ होती है, जिससे समाज में मूल्यगत गिरावट हो सकती है।

विज्ञापन और उपभोक्तावाद :– मीडिया द्वारा उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को आवश्यकता से अधिक उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे लोग अपनी वास्तविक जरूरतों को नजर अंदाज कर उपभोक्तावाद की ओर आकर्षित होते हैं, जो आर्थिक असमानता और समाजिक दबाव पैदा कर सकता है।

हिंसा और नकारात्मकता :– कई बार मीडिया हिंसा, अपराध और नकारात्मक घटनाओं को अत्यधिक दिखाता है। इससे समाज में डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा, मीडिया द्वारा नकारात्मक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से सजाम के समग्र विकास के लिए हानिकारण है।

निष्कर्ष :– समाज में मीडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह समाज को जानकारी देने, शिक्षा और जागरूकता फैलाने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि मीडिया के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे फर्जी खबरें, सांस्कृतिक प्रभाव और उपभोक्तावाद, फिर भी सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह समाज और उपभोक्तावाद, फिर भी सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह समाज के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर मीडिया का उपयोग सही दिशा में किया जाए, तो यह समाज के विकास और प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है।

आया सावन आया सावन

आया सावन आया सावन
कहती है पुष्पों की डाली,
मैं झूम उठी मानो ऐसे
जैसे हूं मैं ही मतवाली,
आया सावन आया सावन...
खिल उठा सदन कानन मेरा
जो सूखा था रवि के कर से,
अब तो है खुश कुटुम्ब मेरा
जबसे काले बदला बरसे,
आया सावन आया सावन...
हो उठी कोकिला मत वाली
जो बैठी वृक्षों की डाली,
जो गीत सदैव मधुर गाती
भाती है जिसको हरियाली,
आया सावन आया सावन
कहता है पुष्पों की डाली...

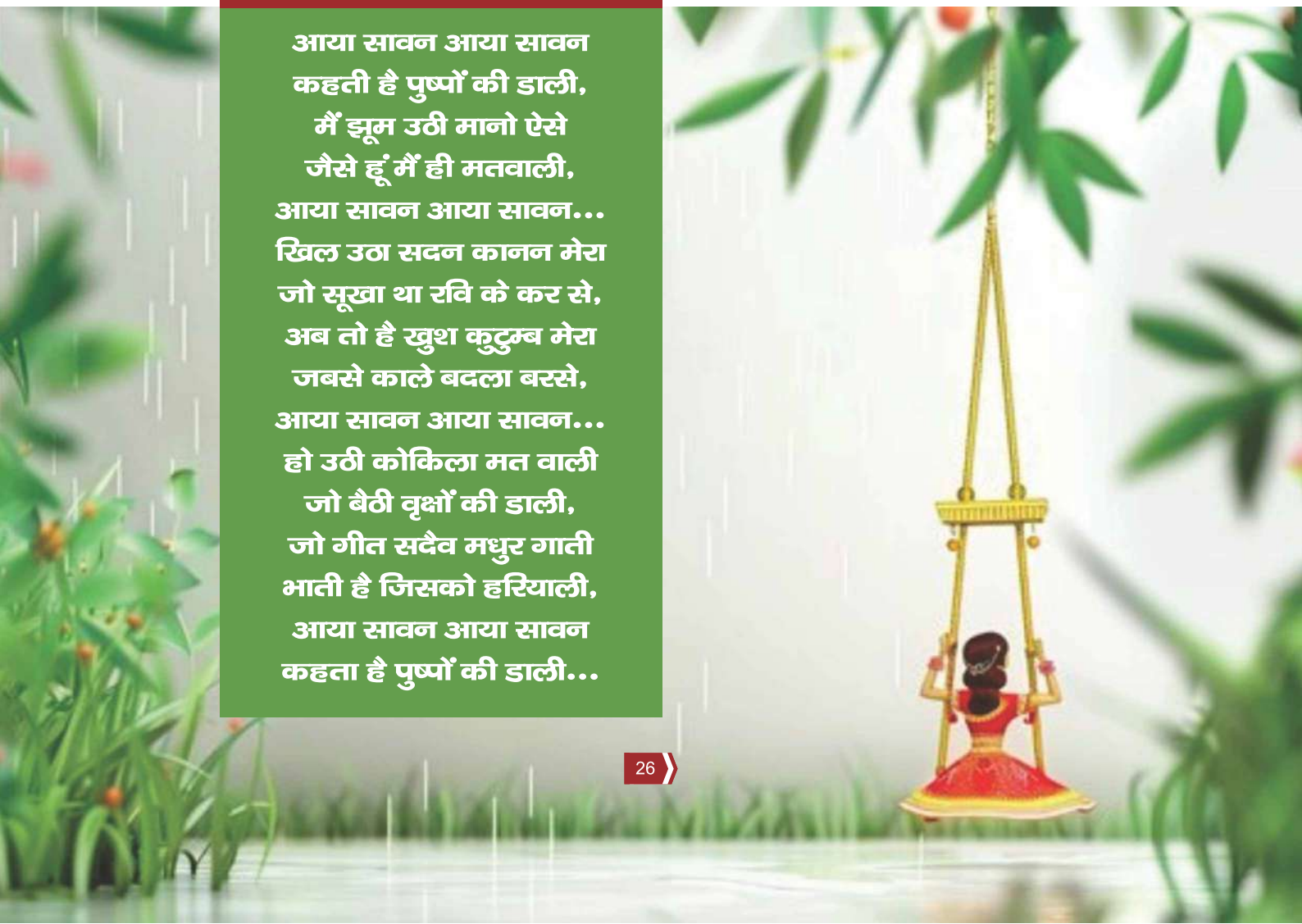

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
SAHKAR SE SAMRIDDHI
Aatmanirabhar Bharat, Aatmanirbhar Krishi
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO NANO UREA Plus
and
IFFCO NANO DAP
Promises
More Yield And More Profit
World's First Nano Fertilizer by IFFCO
500 ML Bottle ₹225/- only
Contains 20% NITROGEN
FREE ACCIDENT INSURANCE
IFFCO Nano UREA Plus Liquid
NANO UREA PLUS
500 ML Bottle ₹600/- only
IFFCO Nano DAP Liquid
NANO DAP
LIQUID (8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED
IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones: 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website: www.iffco.coop

हरियाणा सचिवालय चण्डीगढ़ में मंत्रीपरिषद् बैठक की अध्यक्षता करते माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी।

11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रोहतक में जिला स्तरीय कार्यक्रम में करो योग रहो निरोग का संदेश देते सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द कुमार शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी डॉ रीटा शर्मा ।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन की ओर से सौरव शर्मा संपादक द्वारा हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित व प्रकाशित तथा कार्यालय बेज नं. 49–52, प्रथम तल, सेक्टर–2, पंचकूला ।
दूरभाष : 0172–2560340, 2560332 हरकोप्रैस : 0172–2637264